सँख्या-15/2017/1982/78-2-2017-42आई0टी0/2017

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त 2017

विषयः ई-टेण्डरिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आई0टी0/2017 दिनांक 12 मई 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एवँ दर-अनुबन्ध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू कर दी गई है।

2- जैसाकि आप अवगत हैं कि दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी है, जिसमें अब मात्र 15 दिवस शेष हैं।

3- इस सन्दर्भ में यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के 10-अशोक मार्ग, लखनऊ स्थित कार्यालय पर नियमित रूप से ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण संचालित किए जाने के अतिरिक्त अनेक विभागों के कार्यालय तथा प्रदेश मुख्यालय/मण्डल/जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों को डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने, ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, BOQ preparation टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, Tender Evaluation इत्यादि के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विगत तीन माह में लगभग 10,000 व्यक्तियों को ई-टेण्डर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 60,000 से अधिक निविदायें ई-टेण्डर पोर्टल पर प्रकाशित की गई हैं।

4- इसी क्रम में दिनांक 21 अगस्त 2017 के पश्चात योजना भवन, सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ के E Floor स्थित सभागार में प्रतिदिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रातः 10:00 बजे

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.i

से 2:00 बजे मध्यान्ह तक नियमित रूप से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने, ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, BOQ preparation टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, Tender Evaluation इत्यादि का आॅन-लाइन प्रस्तुतिकरण किया जायेगा तथा जिज्ञासाओं का भी समाधान किया जायेगा।

5- अतएव अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों इत्यादि के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो प्रशिक्षण से छूट गये हैं किन्तु उन्हें ई-टेण्डरिंग प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित हो अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण के इच्छुक हों, अथवा अन्य अधिकारी जिन्हें आप प्रशिक्षण में प्रतिभाग हेतु नामित करना उचित समझें, उन्हें योजना भवन, सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ स्थित प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित कर दें।

6- योजना भवन, लखनऊ के E Floor स्थित सभागार में 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, अतएव उचित होगा कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग हेतु तिथि के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार, उप महाप्रबन्धक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (0522-2286808, 09235567201) को पूर्व अवगत करा दिया जाये।

7- इसके अतिरिक्त ई-टेण्डरिंग प्रणाली के प्रशिक्षण हेतु 18 मण्डलीय मुख्यालयों पर मास्टर ट्रेनर्स की तैनाती की गई है तथा 56 जिलों के ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर दिया गया है, तथा वह जनपदों में अन्य अधिकारियों को ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सक्षम हैं। 18 मण्डलीय मुख्यालयों पर तैनात मास्टर ट्रेनर्स तथा मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की सूची संलग्न है तथा ई-टेण्डरिंग प्रणाली के प्रशिक्षण हेतु इनकी सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है।

भवदीय,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

सँख्या 15/2017/1982/78-2-2017-42आई0टी0/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in